नम्बर व तारीख
अहलकार जो इस हुक्म
व तारीख में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 131/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति अहीर निवासी पलसाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक – 20.10..2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 820, 811 लगायत 815, 815/4598, 817 वाके ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार हैं। वादी के जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी व अन्य परिवारजन द्वारा झाबरमल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था तथा बाल्यावस्था में घर में झाबरमल के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम झाबरमल दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्चात परिवारजन द्वारा वादी का नाम अन्य सरकारी रिकार्ड में बनवारीलाल दर्ज करवा दिया गया जबकि झाबरमल व बनवारीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी के अन्य सरकारी कार्ड परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड उपखण्ड अधिकारी महादेय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में वादी का नाम बनवारीलाल बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादी के बनवारीलाल नाम का अन्य कोई भाई नही है। ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा को जारी पहचान प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र में भी सरपंच द्वारा झाबरमल व बनवारीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम झाबरमल दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम बनवारीलाल दर्ज है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकासित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बनवारीलाल दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिड कार्ड से ऋण लेने की कार्यवही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिड कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान क्रिडिड कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है जो कि वादकारण क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 820, 811 लगायत 815, 815/4598, 817 वाके ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम झाबरमल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम झाबरमल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

है कि प्रार्थी के पिता की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय झाबरमल पुत्र रामेश्वर नाम दर्ज हो गया प्रार्थी ने बताया किवह अपनी आईडी पहचान पत्र बनवारी लाल पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से बनवा लिए है तथा गांव के बडे बुर्जग झाबर मल के नाम से पुकारते है ग्राम पचायत पलसाना के सरपंच के पहचान पत्र ग्रामीणों से पुछताछ में बताया कि झाबरमल पुत्र रामेश्वरलाल व बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल एक ही व्यक्ति है। इसके अलावा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति गांव में नही है। आवेदक का नाम झाबरमल पुत्र रामेश्वर के स्थान पर झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वर किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 820, 811 लगायत 815, 815/4598, 817 वाके ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम झाबरमल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

झाबरमल उर्फ बनवारीलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 20.10..2020

मुकदमा नं0 131 / दावा सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 820, 811 लगायत 815, 815 / 4598, 817 वाके ग्राम पलसाना पटवार हल्का पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम झाबरमल पुत्र रामेश्वरलाल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर झाबरमल उर्फ बनवारीलाल पुत्र रामेश्वरलाल संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.10..2020 को जारी की गई।

दस्तखते ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ